न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश, जिला देहरादून
सी0जी0 सं0– /2026
राज्य बनाम अज्ञात

मु0अ0सं0 संख्या–202/2025
अन्तर्गत धारा–106(1), 281 बी0एन0एस0।
थाना–रायवाला, जिला देहरादून।

आदेश

दिनांक 10–06–2026
प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता–श्री सुभाष चन्द्र भट्ट

प्रार्थिनी **रेखा भट्ट पत्नी अजय शर्मा** की ओर से मु0अ0सं0–202/2025, अन्तर्गत धारा–106(1), 281 बी0एन0एस0 में निरूद्ध वाहन संख्या यू0के0–08ए0एम0 3841 मोटरसाईकिल को अपनी सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत वाहन का तकनीकी परीक्षण हो चुका है तथा वर्तमान में मुकदमा उपरोक्त में थाना रायवाला परिसर में सुरक्षित स्थान पर खडा है।

3– प्रार्थिनी व उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। **4–** थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार **मु0अ0सं0 संख्या–202/2025 अन्तर्गत धारा– 106(1), 281 बी0एन0एस0 में निरूद्ध वाहन संख्या यू0के0–08ए0एम0 3841** थाने के प्रांगण में खड़ा है। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र को शपथ पत्र से समर्थित किया गया है तथा प्रार्थिनी का अभिकथन है कि उक्त वाहन उसके पति अजय शर्मा के नाम पर पंजीकृत था जिनकी दिनांक 25.11.2025 को दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है। अपने अभिकथनों के समर्थन में प्रार्थिनी ने अपने पति अजय शर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र व पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है जिससे प्रार्थिनी अजय शर्मा की पत्नी होना दर्शित है। प्रार्थिनी द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है। प्रार्थिनी की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

5– चूँकि वाद के निस्तारण में अभी समय लगेगा तथा प्रश्नगत वाहन के थाने पर खड़ा रहने से उसके खराब होने की सम्भावना है, अतः दौरान वाद प्रश्नगत वाहन को प्रार्थिनी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वाहन को **रेखा भट्ट** के पक्ष में अंकन **50,000/–रूपये** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि का एक जमानती तथा इस आशय का एक अण्डरटेकिंग देने पर अन्तरिम रूप से अवमुक्त किया जाता है कि:–

(i)- प्रार्थिनी उक्त वाहन को न्यायालय के आदेश के बिना अन्यथा व्ययन नहीं करेगा और न ही उक्त वाहन के स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगी।
(ii)- जब भी न्यायालय प्रश्नगत वाहन को न्यायालय में तलब करेगा स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।
(iii)- प्रार्थिनी वाहन के समस्त कागजातों की तीन छायाप्रति प्रस्तुत करेगी।

प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन किये जाने पर प्रभारी निरीक्षक **थाना रायवाला** को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन को, यदि किसी अन्य मामले में वॉछित न हो तो, नियमानुसार आवश्यक प्रपत्रों की जॉच कर तथा प्रार्थिनी की पहचान सुनिश्चित कर, उसके पक्ष में अन्तरिम रूप से अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(रूचिका गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।